FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाडा

सरकार	बनाम	रईस उर्फ कालू काठात माण्डल
– प्रार्थी		–विपक्षी

प्रकरण संख्या 48 / 2022 प्रा0 पत्र

तारीखहुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। विपक्षी को नोटिस जारी करे। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब की जावे। प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवायी हेतु दिनांक 01.11.2022 को पेश हो। अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
1-11-22	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित पक्ष। प्रार्थी पक्ष पुलिस थाना कोटरा से केस डायरी तलब की गयी। प्रकरण में प्रार्थी वाहन मालिक को सुना गया। प्रार्थी वाहन मालिक द्वारा वाहन नं. RJ08 GAE 3189 की मूल R.C. व बीमा दस्तावेज पेश किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाहन क्रमांक RJ08 GAE 3189 को प्रार्थी द्वारा 2.00 लाख रु. का जमानतनामा व मुचलका प्रस्तुत शपथ पत्र पेश किये जाने पर वाहन को छोड़ा जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी वाहन मालिक उक्त वाहन क्रमांक RJ 08 GAE 3189 को कोई रंग रोगन व तब्दीली आदि नहीं करेगा। तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं के खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। वाहन मालिक ने अपने वाहन की प्रमाण हेतु जमानतदार शुक्ल सर्वा निवासी बी-63 विजय सिंह पथिक नगर भीलवाड़ा के वाहन नं. RJ27 GAE 7257 की R.C., बीमा, आधार की प्रतियां पेश की, जिसका मूल से मिलान किया गया। वाहन मालिक व जमानतदार के R.C. व बीमा दस्तावेज प्रतियों को अधिवक्ता द्वारा भी तस्दीक किया गया। जमानतनामा व मुचलका व दस्तावेज को शामिल पत्रावली किया जाता है। जमानतनामा व मुचलका 2.00-2.00 लाख रु. के पेश हुए। पुलिस थाना कोटरा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन क्रमांक RJ08 GAE 3189 की न्यायालय द्वारा रंगीन फोटोग्राफ खींचकर वाहन को वाहन मालिक श्रीमती जीरा देवी पत्नी को सुपुर्द करें। पुलिस थाना कोटरा को वाहन रिलीज बाबत तहरीर जारी करें। अति. जिला कलक्टर भीलवाडा	